



2026:AHC:166386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27699 सन् 2026

दीपक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

आनंद पति तिवारी

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता :

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद पति तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 253 सन् 2023, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक दीपक कुमार, पुत्र श्योराज सिंह है तथा उसे वर्तमान वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें एक अन्य सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश भी है, किंतु वास्तविक घटना को किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, तथापि, प्रथम सूचनादाता के अनुसार उसने आवेदक तथा सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश को घटनास्थल से भागते हुए देखा था।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश तथा सचिन को घटनास्थल से भागते हुए देखा था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि साक्षियों के बयानों से भी यह परिलक्षित होता है कि मृत्यु से पूर्व मृतक ने उन्हें बताया था कि सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश ने उसे चोटें पहुँचाई थीं।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक दीपक कुमार, पुत्र श्योराज सिंह है, विवेचना के दौरान उसकी संलिप्तता असत्य पाई गई थी तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, किंतु विचारण के दौरान उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 के अंतर्गत तलब किया गया है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वाद के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक निर्दोष है तथा केवल इसलिए कि उसका नाम भी दीपक है, उसे वर्तमान प्रकरण में सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश के साथ अभियुक्त बनाया गया है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त सचिन, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक तथा सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश के साथ अंकित था, को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2034 सन् 2024 में पारित दिनांक 23.02.2024 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा आवेदक का प्रकरण उससे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसके विरुद्ध आरोप-पत्र भी दाखिल किया गया था।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 25.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।
11. प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सचिन के साथ दीपक नाम के दो सह-अभियुक्तों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें आवेदक भी सम्मिलित है तथा आवेदक दीपक कुमार, पुत्र श्योराज सिंह है।
12. अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि वास्तविक घटना को कोई भी नहीं देख सका था, तथापि प्रथम सूचनादाता ने अपने बयान में कहा है कि उसने आवेदक तथा एक अन्य सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश को घटनास्थल से भागते हुए देखा था, किंतु अन्य साक्षियों ने आवेदक के विरुद्ध कुछ नहीं कहा तथा उन्होंने कहा कि सह-अभियुक्त सचिन, सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश के साथ घटनास्थल से भाग रहा था।
13. आगे, अन्य साक्षियों के बयानों से भी यह परिलक्षित होता है कि मृत्यु से पूर्व मृतक ने उन्हें बताया था कि सह-अभियुक्त दीपक, पुत्र रमेश ने उसे चोटें पहुँचाई थीं।
14. अभिलेख से आगे यह भी परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक की संलिप्तता असत्य पाई गई थी तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था और उसे विचारण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 के अंतर्गत तलब किया गया है।
15. आगे, सह-अभियुक्त सचिन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उसके विरुद्ध भी आरोप-पत्र

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दाखिल किया गया था, यह परिलक्षित होता है कि आवेदक का प्रकरण उससे बेहतर स्थिति में है।

16. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 25.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

17. अतः, उपर्युक्त विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

18. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

19. आवेदक - **दीपक कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त वाद में जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।